

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.  
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट भजेडा)

वाद संख्या :- 02/107/2016

रामजीलाल बनाम जगदीश  
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 28.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट भजेडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 27.06.2016 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 100/0.75, 103/0.30, 129/0.11, 130/0.38, 144/0.49, 145/0.41, 230/0.27, 97/0.26 है। वाके ग्राम चीतोस तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 08.08.2016 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि आराजी विवादित से प्रार्थी के कार्यकाश्त में रुकावट पैदा न करें, बेदखल कर कब्जा न करें, आराजी को रहन बय द्वारा मुन्तकिल न करें, रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तामील हेतु बार बार अवसर दिए जाने के बाद भी रजिस्टर्ड नोटिस पेश कर पालना नहीं की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2016 से विचाराधीन है जिसका निस्तारण तामील के अभाव में गत 2 वर्षों से नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 100/0.75, 103/0.30, 129/0.11, 130/0.38, 144/0.49, 145/0.41, 230/0.27, 97/0.26 है। वाके ग्राम चीतोस तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 27.06.2016 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 कैम्प कोर्ट भजेडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)  
(कैम्प कोर्ट भजेडा)